राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक तत्वों का आलोचनात्मक अध्ययन

महेन्द्र कुमार

रिसर्च स्कॉलर, राजनितिक विज्ञान विभाग

जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर

• प्रस्तावना

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या हमारे राष्ट्र के सामने एक बहुत ही गंभीर चुनौती के रूप में विद्यमान है क्योकि समस्त देश में विघटनकारी तत्व बहुत ही सक्रिय है। ये विघटनकारी तत्व साम्प्रदायिकता, जातिवाद, भाषावाद, कबीलावाद तथा क्षेत्रियता के जहर को भारतीय समाज में फैला रहे हैं। इन अवांछनीय गतिविधियो ं के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय अखण्डता तथा एकता को भारी खतरा है।

भारतवर्ष एक बहुत बड़ा देश है, जिसकी जनसंख्या 100 करोड़ से अधिक है। इस देश में अनेक नस्लों, धर्मों, भाषाओ ं तथा जातियों के लोग रहते हैं। भौगोलिक दृष्टि से भी इस देश का आकार काफी बड़ा है और भिन्न–भिन्न क्षेत्रों में आर्थिक विकास, शिक्षा का स्तर और रहन–सहन के ढंग में काफी विविधता पाई जाती है। यहां का समाज परम्परावादी है और यहां की जनता में अपने धर्म अपनी भाषा और अपनी जाति के प्रति वफादारी की भावना बहुत दृढ़ है। इसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या बहुत ही जटिल है क्योकि भिन्न–भिन्न सामाजिक वर्ग एक दूसरे के विरूद्ध अकारण ही हिंसात्मक गतिविधियों में वयस्त रहते हैं। ये घटनाएँ चिंताजनक है परन्तु यदि हम धैर्य से परन्तु दृढ़ता से इन समस्याओं का सामना करें तो अवश्य की सफल हो सकते हैं।

राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक तत्व – सुरक्षा की अवधारणा के अन्तर्गत राष्ट्र की एकता व अखण्डता, भौगोलिक सीमाओं की सुरक्षा, संप्रभुता एवं स्वायत्त पहचान बनाए रखना तथा अपने नागरिकों के जीवन व सम्पति की सुरक्षा को शामिल किया जाता है। इसके लिए बाह्य व आन्तरिक सुरक्षा हेतु सैन्य विकास, आर्थिक विकास, राष्ट्र निर्माण तथा लोगों के जीवन स्तर में सुधार से सदंर्भित प्रयास किये जाते हैं। इस प्रकार सुरक्षा एक बहुआयामी धारणा है, जिसमें राजनैतिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, सामाजिक व सैन्य गतिविधियों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है जिसमे शांति एवं स्थिरता के वातावरण में विकास कार्यों को बढ़ावा मिल सके।

• संविधान में सुरक्षा –

कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक नागरिक के अधिकार सुरक्षित रहे। भारतीय सविधान में मौलिक अधिकारो ं के द्वारा कानून–व्यवस्था बनाए रखने हेतु भारतीय सविधान में अनुच्छेद 13 से 19 तक संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है।

भारत अहिंसा और शांति का मूलमंत्र लेकर विश्व में बंधुत्व और भाईचारे की स्थापना में हमेशा प्रत्यनशील रहा है। इसी भारत में हिंसात्मक घटनाएँ अब आम बात हो गयी है। आतंकवाद, उग्रवाद,

नक्सलवाद एवं साम्प्रदायिकता ने विगत तीन दशकों से भारतीय जनमानस में असुरक्षा और दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। देश की जनता की उभरती हुई आकांक्षाएँ राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया के सामने सबसे पहले चुनौती है। अनेक प्रकार के तत्व, भटके हुए नौजवना तथा अनेक सामाजिक वर्ग ऐसे ढंग़ से काम कर रहे हैं जिससे राष्ट्रीय एकता और अखण्डता को खतरा है। वे तत्व निम्नलिखित हैं :–

1. **साम्प्रदायिकता** – साम्पद्रायिकता हमें अंग्रेजों से धरोहर के रूप में मिला हुआ एक एसा उपहार है जिससे हमारे देश की एकता तथा अखण्डता को सबसे बड़ा खतरा है। जैसे– जैसे समय गुजरता जा रहा है वैसे– वैसे राष्ट्रवादी शक्तियाँ कमजोर पडती़ जा रही है और साम्प्रदायिक तत्व शक्तिशाली होते जा रहे हैं। कई ऐसी घटनाएँ है जो एकता तथा भाईचारे की भावना उत्पन्न करने के स्थान पर आपसी दुश्मनी को बढ़ावा देती है।
2. **जातिवाद** – जातिवाद के कारण हिन्दू समाज के अनेक सामाजिक वर्ग एक–दूसरे के दुश्मन बन गये हैं और अब एक–दूसरे की गर्दन काटने को तैयार है। भारतीय सदंर्भ में यह कहा जाता है कि यहां पर कोई भी व्यक्ति सिवाय जाति के सबकुछ बदल सकता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपनी जाति को नहीं बदल सकता। जाति का हिन्दू समाज के साथ एक प्रकार का वैसा ही सबंध है जैसा कि प्रत्येक व्यक्ति का उसकी परछाई के साथ होता है। यह एक बहुत ही र्दुभाग्य का विषय है कि हमारे सविधान निर्माताओं ने सविधान मे ं विभिन्न जातियो ं व वर्गों के लिए सरंक्षणात्मक भेदभाव की व्यवस्था करके इसे वैधानिक मान्यता दे दी है। समाज का इस प्रकार से जातियों के आधार पर संगठित होने तथा एक–दूसरे से आपस में लडने के कारण राष्ट्रीय एकता तथा अखण्डता की भावना बहुत कमजोर हो गई है।
3. **भाषावाद** – भारत एक ऐसा देश है जिसमें अनेक भाषाएँ बोली जाती है। भाषा का प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के साथ भावनात्मक सबंधं होता है इसलिए सामाजिक जीवन में भाषा की एकीकरणात्मक तथा विषटनात्मक दोनों ही प्रकार की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। परन्तु जहां तक भारत का सबंधं है, भाषा की यह भूमिका विघटनात्मक अधिक एकीकरणात्मक कम रही है। सविधान में हिन्दी को संघीय सरकार की सरकारी भाषा माना है परन्तु इसके लिए भी मतभेद बना हुआ है। भाषा के कारण भाषावाद का जहर हमारे देश में फैलता जा रहा है जो कि राष्ट्र की एकता और अखण्डता के लिए खतरा है।
4. **क्षेत्रियता** – राष्ट्रीय एकीकरण के लिए क्षेत्रियता से भी काफी खतरा है। कुछ सामाजिक वर्ग ऐसे हैं जिनका पृथक अस्तित्व है और वे उसे राजनैतिक स्तर पर भी बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए कुछ सामाजिक वर्ग राज्यों को पुनः पुनर्गठन की मागं कर रहे हैं। उदाहरण – बिहार, उड़ीसा तथा पश्चिमी बंगाल के कबाइली झारखड़ राज्य बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। जहां का क्षेत्रवाद की समस्या का संबंध है, यह उस समय आरंभ हुई जब 1956 में राज्यों की भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया गया क्योंकि उससे सकुंचित तथा सकीर्ण दृष्टिकोण वाले नेताओं के हौसलें बुलंद हो गए और राष्ट्रीय हितों को हानि पहुँची। उपरोक्त वर्णित बाधाओं के अलावा अन्य बाधाएँ निम्नलिखित हैं :–

- कबीलावाद
- भूमिपूत्र का सिद्धान्त
- राजनैतिक दलों की भूमिका
- अलगवादी संगठनों का अस्तित्व।
- राष्ट्रीय चिन्हों का अनादर राष्ट्रीय एकीकरण को सुनिश्चित करना।

- **उठाये गये कदम –**

1. राष्ट्रीय अखण्डता समितियाँ तथा परिषदें – राष्ट्रीय अखण्डता का गठन सबसे पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू के द्वारा 1961 में किया गया था। राष्ट्रीय अखण्डता के बाधक तत्व साम्प्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रियता तथा भाषावाद आदि का समाधान करने हेतु किया गया।
2. राष्ट्रीय अखण्डता समिति – जातिवाद, साम्प्रदायिकता, भाषावाद तथा क्षेत्रियता की बढ़ती प्रवृत्तियों के विरूद्ध लड़ने के लिए तथा विभिन्न भेदभाव से संबंधित शिकायतों की जांच हेतु गठित।
3. भावनात्मक एकीकरण समिति – शिक्षा मंत्रियों की सिफारिश पर प्रधानमंत्री द्वारा भावनात्मक एकीकरण समिति का गठन किया गया।
4. राष्ट्रीय अखण्डता सम्मेलन – इस सम्मेलन में राजनैतिक दलों तथा सरकार के लिए एक आचार सहिता बनाई गई जिसमें राजनैतिक दलों के प्रचार, आन्दोलनों, कानून व्यवस्था आदि से सबंधित आचार सहिता बनाई गई परन्तु इसका उचित रूप से पालन नहीं किया जा सका।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय एकीकरण में देश में अनेक बाधक तत्व के रूप में समस्या है जिसमें नकसलवाद, आंतकवाद, राजनैतिकवाद, जातिवाद, तथा सोसियल साइट पर नकारात्मक माहौल प्रमुख बाधक तत्वों के रूप में उपलब्ध है। इन सभी तत्वों के कारण राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता पर प्रभाव पड़ रहा है । यह स्पष्ट है कि धर्म, जाति, भाषा और क्षत्रे के आधार पर विभाजित समाज के वर्गो के बीच एकता की स्थापना बलपूर्वक या दंड के भय से नहीं बल्कि कानून तथा मानसिक परिर्वतन द्वारा सभंव है। इसलिए सरकार द्वारा स्थापित आसूचना ऐजेन्सियों से कड़ी निगरानी एवं नियत्रंण आवश्यक है।

- **सुझाव–**

राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के लिए सरकार द्वारा अनेक आसूचना ऐजेन्सियों को स्थापित किया गया है जो भारतीय खुफिया आसूचना तंत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है। फिर भी इस अध्ययन हेतु कुछ सुझाव अग्रलिखि्त है ताकि राष्ट्रीय एकीकरण के बाधाक तत्वों पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके।

1. प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय पुलिस बल का सशक्तिकरण करना।

2. बाह्य व आंतरिक गुप्तचर व्यवस्था को प्रभावी बनाना।
3. पुलिस तंत्र एवं गुप्तचर व्यवस्था में समन्वय स्थापित करना।
4. पुलिस और स्थानीय लोगों में सहयोग विकसित करना।
5. अर्द्धसैनिक बलों एवं पुलिस के बीच सामंजस्य स्थापित कर उन्हें आधुनिक हथियारों की आपूर्ति सुनिश्चित करना।
6. तत्कालीन रूप से लोगों को बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराना।
7. अन्य देशों की भांति भारतीय आसूचना तंत्र को कुछ स्वनिर्णय का अधिकार प्रदान किया जाए।

• संदर्भ ग्रंथ सूची–

- कुमार अमन, आईपीएस सिंह उदयभान (2018); भारत की आंतरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन; प्रभात पेपरबैक्स, नई दिल्ली।
- स्वामी कुमार आलोक (2015); वर्तमान संवेदनशील मुद्दे; आशीर्वाद पब्लिकेशन।
- बरकोविज पीटर (2005); द फ्यूचर ऑफ अमेरिकन्स इंटेलिजेंस; स्टेन फोर्ड, सी. ए. हुवर इस्टीट्यूटसन प्रेस।
- सुलाथर निक (2003); बॉम्बिंग एट द स्पीड ऑफ थॉट; इंटेलिजेंस इन द कमिंग एज ऑफ साइबर; इंटेलिजेंस एण्ड नेशनल सिक्योरिटी।
- नोमिकोस जॉन एम. (2007); टेरेरिज्म, मिडिया एण्ड इंटेलिजेंस इन ग्रीस : केपचरिंग द 17 नवम्बर ग्रुप; इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंटेलिजेंस एण्ड काउन्टर इंटेलिजेंस।
- साहनी अजय (2012); इंटेलिजेंस एजेंसीज इन इंडियन डेमोक्रेसी; द इंडियन पोलिस जनरल।
- सारस्वत वी. के. (2012); टेक्नोलॉजी इन इंटेलिजेंस–फ्यूचर सिनेरियो; द इंडियन पोलिस जनरल।